**Bridge over Yamuna near I.T.O.**

1671. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether technical feasibility of the proopsal for construction of second bridge over river Yamuna in Delhi near ITO has been gone into by Delhi Administration and Central Government;

(b) if so, the findings and decision thereon; and

(c) whether there is any alternative proposal under consideration to meet the traffic requirement mentioned above; if so, what it is?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN): (a) Yes, Sir. Delhi Administration who are responsible for the proposed bridge have completed its feasibility study.

(b) The project has been agreed to in principle.

(c) Since the proposal for a second bridge at the said location has been accepted in priciple, no alternative proposal is under consideration.

**प्रैस काऊंसिल के समक्ष समाचार पत्रों तथा पत्रकारों के विरुद्ध शिकायतें**

1672. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों के दौरान जिन लोगों ने प्रैस काऊंसिल के समक्ष समाचार पत्रों तथा पत्रकारों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की हैं उनके नाम क्या-क्या हैं तथा उन समाचार पत्रों और पत्रकारों के नाम क्या-क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (**देखिये परिशिष्ट 155 अनुपत्र संख्या 52**)

**राजभाषा हिन्दी**

1973. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषा हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) और (ख) सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाई गई है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न है । इसके अतिरिक्त उन आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को जो अंग्रेजी आशुलिपिटाइप जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कार्य करते हैं क्रमश: 60 रु. और 40रु. प्रति माह विशेष भत्ता देने की भी प्रोत्साहन योजना है । मंत्रालयों/विभागों को यह भी निर्देश है कि वे प्रतिवर्ष एक ऐसे अधिकारी को भी पुरस्कार के लिए चुनें जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में दे ।

विवरण

सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिये प्रोत्साहन योजना

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों में सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1. योजना का क्षेत्र :

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

2. पात्रता :

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं।

(ख) केवल वहीं अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, से रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जायेंगे।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक, जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. पुरस्कार :

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जायेंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 500/—

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 300/—

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 150/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधिनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 400/—

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 200/—

तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 150/—

4. योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा। उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा।

रक्षा मंत्रालय या डाक तार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी।

5. पुरस्कार देने के लिये मापदंड :

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जायेंगे। इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतय निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

6. मूल्यांकन समिति :

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

**Kidnappings by the terrorists**

1674. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of kidnappings of civil servants, company officials and their family members by the terrorists all over the country during the last three months;

(b) the steps taken to get them released; and

(c) the measure being taken to meet this challenge?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**गया में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव**

1675. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में गया में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने बोध गया के ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के बावजूद भी इस प्रस्ताव की उपेक्षा की है जबकि उसने बिहार के अन्य स्थानों पर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र खोले हैं ;